रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10, 1979 (फाल्गुन 19, 1900)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10, 1979 (PHALGUNA 19, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	111
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	293
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	167
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	675
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	695
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	95
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संघ राज्य क्षेत्र कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1877
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	141
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	911
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	27

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	111
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	293
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions. Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	167
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	675
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	695
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	95
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1877
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	141
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	911
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1979.

सं० 9-प्रेज/79—दिनांक 3 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं० 27-प्रेज/76, दिनांक 26 जनवरी, 1976, एयर कमोडर राजिन्दर नाथ बक्शी (2194), प्रशासनिक, को विशिष्ट सेवाओं के लिये प्रदत्त अति विशिष्ट सेवा मैडल एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और मैडल जब्त किया जाता है ।

क्षेम राज गुप्त:
राष्ट्रपति के उप-सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 1979

सं 11/7/78-के० से० II—गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1979 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों (तथा उन अन्य सेवाओं/पदों के लिए, जो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में सम्मिलित किए जाएंगे) में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा ग्रेड-II

(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा अवर श्रेणी ग्रेड

(v) भारत के निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

(vi) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(vii) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(viii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

तथा

उपरोक्त सेवाओं/पदों के लिए अधिमान आयोग द्वारा केवल उन्हीं उम्मीदवारों से आमन्त्रित किए जाएंगे जो टंकण परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने के पात्र होंगे ।

2. परीक्षा के परिणाम पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा समाचार पत्रों में जारी किए गए विज्ञापन में निर्दिष्ट की जाएगी । भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया जायेगा ।

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेना में किसी पद पर (चाहे लड़ाकू के रूप में रहा हो अथवा नहीं) निरन्तर 6 मास की अवधि तक रहा हो और दुराचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा-मुक्त किए जाने को छोड़कर अन्य किसी कारण से नौकरी से मुक्त कर दिया गया हो । अथवा परीक्षा की तारीख से छः मास के भीतर विमुक्त होने वाला हो ।

स्पष्टीकरण :—इन नियमों के लिए "संघ की सशस्त्र सेना" में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल होंगी परन्तु निम्न सेनाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं :—

(क) आसाम राइफल्स

(ख) लोक सहायक सेना

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स

(घ) जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया

(ङ) सैनिक सुरक्षा दल तथा

(च) प्रादेशिक सेना ।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम-जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार) ।

*संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

*संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, 1962

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1962

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968

*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से अभिप्राय निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से सम्बद्ध व्यक्ति से है :—

(क) बहरे : बहरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने का बोध न हो। उच्च स्वर के साथ बोलने पर वे न तो बिल्कुल सुन सकते हों और न ध्वनि को समझ सकते हों। इस वर्ग में ऐसे मामले भी शामिल हैं जो ठीक कान (गम्भीर रूप से असमर्थ) 90 डेसीबल से अधिक नहीं सुन सकते हों अथवा दोनों कानों से पूर्ण रूप से नहीं सुन सकते हों।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग : शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शारीरिक दोष हो अथवा अंग विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डी, पेशियों तथा जोड़ों में सामान्य रूप से बाधा पैदा होती हो।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तनजानिया (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे तथा ईथोपिया से आया हो।

(1) परन्तु ऊपर की श्रेणी (ख), (ग) (घ) और (ङ) से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि ऊपर की श्रेणी (ख)' (ग) तथा (घ) से सम्बन्धित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है। परन्तु उसे नियुक्ति-पत्र तभी दिया जा सकता है जब उसे वह मंत्रालय/विभाग जो उस पद से सम्बद्ध हो जहां उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना हो। आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिये यह जरूरी है कि 1 जनवरी, 1979 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरे 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1954 से पहले और 1 जनवरी, 1961 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो उनकी सशस्त्र सेना की कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आय सीमा में छूट दी जाएगी।

परन्तु इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी :— उपरोक्त नियम 5 (ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी को सशस्त्र सेना में अवधान पर सेवा ("काल अप सर्विस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

(ग) उपरलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी, :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1, 1964 के भारत श्रीलंका के समझौते के अधीन पहली नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा उम्मीदवार भारतीय मूल का भी हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणाम-स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणाम-स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों; और

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(xv) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं० 15013/1/77-स्था० (डी०) दिनांक 3-2-1978 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार आयु-छूट ऐसे उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होगी जो आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन रोके गए जो प्रतिरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 या तदधीन नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए तथा जो उस समय सामान्य आयु सीमाओं के अन्तर्गत थे । 31-12-1979 तक केवल एक अवसर दिया जाएगा ।

(xvi) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है अर्थात अन्धा, बहरा, गूंगा तथा शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति— तो उस के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट होगी ।

घ. उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष तक की आयु की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लिपिकों/सहायकों/संकलकों/भंडार रक्षकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1979 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो मन्त्रालय/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, (2) भारतीय विदेश सेवा (ख), (3) रेलवे सचिवालय सेवा और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे है तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा में बैठ रहे हैं ।

ङ. उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकण के पदों पर नियुक्त है और 1 जनवरी, 1979 को जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

परन्तु शर्त है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकण केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

च. ऊपरी आयु सीमा में सैनिक-लिपिकों को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में है अर्थात् उनको जो सेना से 2 जनवरी, 1979 से 1 जनवरी, 1980 की अवधि में निवृत्त होने वाले है । ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवार केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तसेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं है, प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

छ. उन टेलीफोन आपरेटरों के लिए कोई ऊपरी आयुसीमा नहीं होगी, जो दिनांक 1 जनवरी, 1979 को विदेश मंत्रालय में नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति यथावत जारी रहेगी ।

टिप्पणी 1. डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छंटाइकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5(घ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी ।

टिप्पणी 2. यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5(घ), नियम 5(ङ) और नियम 5(छ) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन-पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है । लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा ।

टिप्पणी 3. किसी लिपिक को जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्त हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जायेगा ।

टिप्पणी 4. विदेश मंत्रालय में भाग ले रहे कार्यालयों/विभागों में काम कर रहा कोई स्थाई अथवा अस्थायी टेलीफोन आपरेटर इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा, परन्तु किसी टेलीफोन आपरेटर को परीक्षा पास करने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे । जो टेलीफोन आपरेटर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य असंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्यथा पात्र हों । यह उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो किसी अन्य संवर्ग पद या स्थानान्तरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है, यदि उस समय टैलीफोन आपरेटर के पद में उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है ।

टिप्पणी 5. जहां तक इस नियम की उक्त श्रेणी (छ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह परीक्षा अर्हक होगी, प्रतियोगितात्मक नहीं । उनको टंकण परीक्षा में बैठना होगा, जो इस परीक्षा का एक भाग है । यदि उन्होंने पहले से टंकण परीक्षा पास नहीं कर रखी होगी, तो उन्हें इस आयोग द्वारा ली गई कोई आवर्ती टंकण परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पास करनी होगी । यदि वे यह परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे कथित परीक्षा पास नहीं कर लेंगे । आयोग द्वारा सिफारिश किया गया टेलीफोन आपरेटर केवल भारतीय विदेश सेवा ख ग्रेड-VI में लिया जाएगा ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी ।

टिप्पणी 6. भारत में केंद्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अर्थ में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो उस राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण-पत्र के समकक्ष माना जाता हो वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास की होनी चाहिए ।

टिप्पणी 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिस के पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप

से पात्र हो जाएगा परन्तु जिस का परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा हो, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2—कुछ विशिष्ट मामलों में, जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

7. (1) जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह अनुबन्ध किया है, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह में दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार्य है तथा ऐसा करने के अन्य कारण है और जब तक उसको इस नियम से छूट न दे दे।

(2) जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है, वह भारतीय विदेश सेवा ग्रुप 'VI की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

8. जो उम्मीदवार पहले से स्थायी अथवा अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में हो, वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र आयोग के पास भेजना होगा।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सम्भावना होगी।

टिप्पणी—अशक्त भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

12. सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के विज्ञापन के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क देना होगा।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी अंकित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने:—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों का बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

[(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये आयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये

[(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो।

15. परीक्षा के बाद उन उम्मीदवारों को, जो टंकण परीक्षा में पास होंगे अथवा जिनको छूट मिल जाएगी, लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर बने श्रेष्ठता-क्रम में रखा जाएगा तथा उसी क्रम में जितने उम्मीदवार आयोग द्वारा परीक्षाओं में पास हुए पाए जाएंगे, उन को अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए, आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना ही उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

16. परीक्षा-परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र देते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

17. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय अपने विवेकानसार करेगा और आयोग परीक्षा फल के संबंध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

19. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट–I

1. परीक्षा दो भागों में ली जायेगी अर्थात भाग I—लिखित परीक्षा और भाग II—टंकण परीक्षा

भाग I—लिखित परीक्षा—लिखित परीक्षा के विषय परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
I.	अंग्रेजी भाषा . .	150	1 घंटा
II.	सामान्य अध्ययन . .	150	1½ घंटा

भाग II—टंकण परीक्षा—टंकण परीक्षा में लगातार टाइप करने की सामग्री (रनिंग मैटर) का एक 10 मिनट का पत्र होगा।

2. अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र आब्जैक्टिव टाइप के होंगे।

3 टंकण परीक्षा अर्थात् परीक्षा की योजना के भाग II में बैठने के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निश्चित किया गया एक न्यूनतम मानक प्राप्त करेंगे।

4 परीक्षा के नियमों के नियम 15 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे। (यह विदेश मंत्रालय में नियुक्त टेलीफोन आपरेटरों पर लागू नहीं होता)।

टिप्पणी I : जिन उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षणशाला या सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान या अधीनस्थ सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से पहिले ही पास कर ली हो उन्हें इस परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पास की गई टंकण परीक्षा में अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा की तारीख बतानी चाहिए।

टिप्पणी II: जो उम्मीदवार किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करता है, उसे गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इस परीक्षा के देने और पास करने की शर्त से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार को जब उसे टंकण परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र आयोग को प्रस्तुत करे जिसमें उसको किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टंकण परीक्षा पास करने के लिये स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

5. उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा के लिए अपनी टाईप मशीन लानी होगी। स्टैन्डर्ड साईज के रोलर वाली टाईप मशीन परीक्षा के दोनों ही प्रश्न पत्रों में काम दे सकेगी।

6. उम्मीदवारों को छूट होगी कि टंकण परीक्षा हिन्दी (देवनागरी लिपि) में दें अथवा अंग्रेजी में।

7. टंकण परीक्षा के उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन-पत्र में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे टंकण परीक्षा अंग्रेजी में देंगे। एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणतः स्वीकार नहीं होगा। उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में टंकण परीक्षा देने पर कोई अंक नहीं दिए जायेंगे।

8. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दिया गया है।

9. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

अनुसूची

भाग I—लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का पाठ्यक्रम

1. अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान:—

(क) अंग्रेजी भाषा के प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे यह पता लगाया जा सके कि उम्मीदवार को अंग्रेजी व्याकरण, शब्द-भंडार, तथा वर्ण-विन्यास समानार्थक, विपरीतार्थक शब्दों का कितना ज्ञान है तथा अंग्रेजी भाषा के सही और गलत प्रयोग को समझने की शक्ति तथा उनमें विवेक करने की योग्यता कितनी है।

(ख) सामान्य ज्ञान:—

भारत का संविधान, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति, भारत का सामान्य एवं आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से, आशा की जा सकती है। उम्मीदवारों के उत्तर ऐसे होने चाहिए जिनसे यह पता चले कि उन्होंने प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्वक समझ लिया है तथा किसी पाठ्य पुस्तक का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

1. उच्च श्रेणी ग्रेड रु० 330-10-380-ई० रो०-12-500-ई० रो०-15-560।

2. अवर श्रेणी ग्रेड रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो० 8-390-10-400 ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान वे सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं पास करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा। उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली भी हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों।

5. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे। स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता में बैठने के पात्र होंगे।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को कम से कम दो वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद श्रेणी 'घ' के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष होनी चाहिए।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जायेगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड के सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति की मांग नहीं कर सकेंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय में नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1970 से जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962, के आधार पर बने हैं, संचालित होती है।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:—

उच्च श्रेणी लिपिक—रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

अवर श्रेणी लिपिक—रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400।

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में ही की जाती है। अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और वैसी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे। ऐसे स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक, जो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तथा निर्धारित निर्णायक तारीख को रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुके हों, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यथानिर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुकने के बाद, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'ग' के लिए ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे इस परीक्षा के लिए ऊपरी आयु निर्णायक तारीख को 45 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक सीमित है और उसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं हो सकते हैं।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए हैं :—

(1) पेंशन के लाभों के हकदार होंगे, और

(2) जब वे नौकरी में नियुक्त हुए हों, उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू गैर अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अंशदान करेंगे।

8 रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर मात्रा में प्रिविलेज पासों और प्रिविलेज टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल कर्मचारियों को उसी प्रकार की सुविधायें हैं जैसी कि अन्य रेल कर्मचारियों को, किन्तु चिकित्सा सुविधायें उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान हैं।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड–VI

वेतनमान : रु०-260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड VI में नियुक्त अधिकारी विदेशों में नियुक्त किए जाने पर उन भत्तों और मुफ्त आवास के पात्र होंगे, जो समय-समय पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के उस ग्रेड में अधिकारियों के लिये स्वीकार्य होते हैं।

3 इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति उम्मीदवार को, मुख्यालय में अथवा भारत या विदेश में कहीं भी जहां वे नियन्त्रक अधिकारी द्वारा लगाए जाएं सेवा करनी होगी।

4. इस सेवा में नियुक्ति, पुष्टीकरण तथा वरिष्ठता की शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) भर्ती, संवर्ग वरिष्ठता तथा पदोन्नति नियम 1964 के संगत उपबन्धों तथा बाद में सरकार द्वारा बनाये गए नियमों और आदेशों के अधीन होंगी।

(घ) संघ सेना मुख्यालय लिपिक सेवा

संघ सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

उच्च श्रेणी ग्रेड:—रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

अवर श्रेणी ग्रेड—रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 ।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथाविहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अंतर सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर-सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ङ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 है।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

(च) भारत तिब्बत सीमा पुलिस।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस में निम्न श्रेणी लिपिक का वेतनमान रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर पदों पर नियुक्त उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन होंगे।

(छ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग

1. आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 है।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद के० स० लि० से० में शामिल नहीं हैं।

3. नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में 5 वर्ष तथा निर्वाचन आयोग में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वे उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1979

सं० 22-17/77-एल० डी०-1—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की नियम तथा विनियमों के अनुच्छेद 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के प्रबन्ध निदेशक श्री जी० एम० झाला को 14-11-1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक श्री ए० के० राय चौधरी (सेवा निवृत्त) के स्थान पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के बोर्ड का पदेन सदस्य नामित किया है।

एन० राजगोपाल, संयुक्त सचिव

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 फरवरी 1979

संकल्प

सं० एच० एम०-11027/6/77-एच० एल० (पर्यटन)—भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन के संबंध में इस मन्त्रालय के संकल्प सं० एच० एम० 11027/6/77-एच० एल० दिनांक 5 अगस्त, 1977, समिति को अपनी सिफारिश पेश करने हेतु समयावधि बढ़ाए जाने संबंधी संकल्प क्रम सं० एच० एम०-11027/6/77 एच० एल० दिनांक 21 मार्च, 1978 और 26 सितम्बर 1978 के अनुक्रम में भारत सरकार ने समिति की समयावधि को और आगे 31 मार्च, 1979 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि समिति सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प की प्रति भारत राजपत्र के लिए भेजी जाए और इसे भारत राजपत्र में प्रकाशित किया जाए

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को सम्प्रेषित की जाए।

सी० बी० जैन, महानिदेशक (पर्यटन)
और पदेन अपर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1979

सं० 55-एफ०एस० आर०-1(6)/78—सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों और परियोजनाओं से भारतीय जहाजों को यातायात के लिए अधिक माल प्राप्त करने में सहायता देने और सरकारी एजेंसियों, भारतीय नौवहन उद्योग और नौवहन और परिवहन मंत्रालय में चार्टरिंग संगठन (ट्रांसचार्ट) के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने का प्रश्न पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक स्थायी समिति का तुरन्त गठन किया जाए।

2. समिति का गठन इस प्रकार होगा:—

1. चार्टरिंग के मुख्य नियन्त्रक, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली—	अध्यक्ष
2. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3. इस्पात विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4. औद्योगिक विकास विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. अध्यक्ष, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली	सदस्य
6. अध्यक्ष, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली	सदस्य
7. अध्यक्ष, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, नई दिल्ली	सदस्य
8. कार्यपालक निदेशक (बल्क कैरियर्ज और टैंकर) भारतीय नौवहन निगम लि०, बम्बई	सदस्य
9. महासचिव, इंडियन नैशनल शिपओनर्ज एसोसिएशन, बम्बई	सदस्य
10. नौवहन समन्वय अधिकारी, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव

3. समिति को आवश्यकता पड़ने पर अन्य मंत्रालयों/विभागों/ सरकारी उपक्रमों/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन या भारतीय कम्पनियों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(क) सरकारी विभाग/सरकारी परियोजनाओं और उपक्रमों तथा भारतीय नौवहन कम्पनियों के बीच अधिकाधिक सहयोग और समन्वय लाना ताकि किफायती दरें, समय पर माल की ढुलाई और भारतीय जहाजों का अधिकतम प्रयोग किया जा सके,

(ख) आयात के लिए सी० एण्ड एफ०/सी० आई०एफ० शर्तों और निर्यात के लिए एफ० ओ० बी०/एफ० ए० एस० शर्तों पर अधिक से अधिक ठेके करने के लिए संभव उपाय करने पर विचार करना,

(ग) माल या जहाज प्राप्त करने में विशेष समस्याओं/कठिनाइयों और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली संभव कार्यवाही की जांच करना,

(घ) सरकारी विभागों/परियोजनाओं या भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा यदि कोई अन्य नौवहन समस्या समिति के ध्यान में लाई गयी हो तो उस पर विचार करना,

5. जब और जैसे आवश्यक समझा जाए, समिति की बैठकें बुलाई जाएंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

स० स० गिल, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी, 1979

सं० जे०-13037/41/77/डी०डी० V ए०—इस मंत्रालय के दिनांक 19-1-79 की अधिसूचना सं० जे०-13037/41/77-डी० डी० V ए० का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार फरवरी, 1979 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खुले बाजार में ऋण पत्रों के निर्गम का एतद्द्वारा अनुमोदन करता है।

कृष्ण प्रताप, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th February 1979

No. 9-Pres./79.—The Ati Vishisht Seva Medal for distinguished service awarded to Air Cdre. Rajinder Nath Bakshi (2194), Administrative, in the President's Secretariat Notification No. 27-Pres./76, dated the 26th January, 1976, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 3rd April, 1976, is hereby cancelled and the medal is forfeited.

K. R. GUPTA, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

RULES

New Delhi, the 24th February 1979

No. 11/7/78-CS.II.—The Rules for Competitive Examinations to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel & Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs, in 1979 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts (and for such other services/posts as may be included by the Commission in their Advertisement inviting applications for the examination) are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B) Grade VI.

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service-Grade II.

(iii) Central Secretariat Clerical Service-Lower Division Grade.

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service—Lower Division Grade.

(v) Posts of Lower Division Clerk in the Election Commission of India.

(vi) Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi.

(vii) Posts of Lower Division Clerk in the Office of the Inspector General of Indo-Tibetan Border Police, Delhi.

(viii) Posts of Lower Division Clerk in the Central Vigilance Commission, New Delhi

Preferences in respect of services/posts mentioned above will be invited by the Commission from the candidates who qualify for being admitted to the Typewriting Test.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the advertisement issued by the Commission in the newspapers. Reservation will be made for candidates who are ex-servicemen, for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for physically handicapped persons in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Ex-Servicemen means a person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released or is to be released within 6 months from the date of the examination, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation :—For the purpose of these Rules "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces namely :—

(a) Assam Rifles;

(b) Lok Sahayak Sena;

(c) General Reserve Engineer Force;

(d) Jammu and Kashmir Militia;

(e) Defence Security Corps; and

(f) Territorial Army.

Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

Physically handicapped person means a person belonging to any of the following categories : —

(a) *The Deaf* :—The Deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear and understand sounds at all even with amplified speech. The cases included in this category will be those having hearing loss more than 90 decibels in the better ear (profound immairment) or total loss of hearing in both ears.

(b) *The Orthopaedically handicapped* :—The Orthopaedically handicapped are those who have a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly, Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B) Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January, 1979, i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1954 and not later than 1st January, 1961.

(b) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-servicemen, who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union; to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for the vacancies for ex-servicemen only.

Note :—The period of "call up service" for an Ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 5 (b) above.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (But before 25th March, 1971);

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangladesh, (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a Disturbed area, and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in Operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xv) Age concession will be permissible to candidates detained under Maintenance of Internal Security Act or arrested under the Defence and Internal Security Act, 1971 or Rules thereunder who were then within normal age limits, in accordance with the instructions contained in the O.M. 15013/1/77-Estt.(D) dated 3rd February, 1978, issued by the Department of Personnel & Administrative Reforms, New Delhi. Only one chance is to be allowed till 31st December 1979.

(xvi) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person i.e. Deaf, and Orthopaedically handicapped.

(d) The upper age limit will be relaxable upto the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks/Assistant Compiler Storekeepers in the various Departments/Offices of the Government of India and in the Office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Clerks on 1st January 1979 and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service, (ii) Indian Foreign Service (B), (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service, and (iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service and to persons who are ex-servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable upto the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years continuous service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1st January 1979 and who continue to be so employed.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession shall be eligible to compete for vacancies in the Central Secretariat Clerical Service only.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of service clerks in the last year of their colour service in the Armed Forces, i.e. those who are due for release from the Army during the period from 2nd January, 1979 to 1st January, 1980. Such candidates are not entitled to any concession in fee.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and inter Services Organizations, which are not reserved for ex Servicemen.

(g) There will be no upper age limit for Telephone Operators who are employed in the Ministry of External Affairs as on 1st January 1979 and who continue to be so employed

NOTE 1 :—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate Offices of P & T Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerks for purpose of Rule 5(d) above.

NOTE 2 :—The candidature of a person who is admitted to the examinataion under the age concession mentioned in Rule 5 sub rules (d), (e) & (g) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department, either before or after taking the examination He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 3 :—A Clerk who is on deputation to an ex cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible

NOTE 4 :- Any permanent or temporary Telephone Operator working in the Office/Department participating in the Ministry of External Affairs shall be eligible to appear at the examination provided that no Telephone Operator shall be allowed to avail of more than two chances to qualify in the examination.

Telephone Operators, who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to a person who has been appointed to another ex cadre post or to another service on transfer, if he/she continues to have lien on the post of Telephone Operator for the time being.

NOTE 5 : -The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category (g) above of this rule are concerned. They will not be require to appear at the typewriting test forming part of this examination. They shall have to pass a periodical typewriting test held by this Commission, if not already passed within a period of one year from the date of their appointment as a Lower Division Clerk, failing which no annual increment will be allowed to them until they have passed the said test.

Telephone Operators recommended by the Commission shall be inducted only in I.F.S. (B) – Grade VI.

(h) The upper age limit will be relaxable for persons appointed, up to 31st December 1977, on ad hoc basis whether retrenched or still in service in accordance with Department of Personnel & A.R. O.M. No 15034/2/78-Estt.(D), dated 16th December 1978.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6 Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to Matriculation certificates for entry into services.

NOTE 1 :—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also candidate who intends to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2 :—In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government justifies his admission to the examination.

7. (i) No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

8. A candidate already in Government service whether in a permanent or temporary capacity may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a "No Objection" Certificate from his office before being allowed to take the Typewriting Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE : In the case of the disabled ex-Defence Services Personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10 The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12 Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee vide Commission's advertisement must pay the fee prescribed therein.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14 A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. After the examination, the candidates competing for the services/posts mentioned in para 1 who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate at the written examination; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that the candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various services/posts.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding result.

18. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/Post.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX—I

The examination will consist of two parts, viz., Part I—Written Examination, and Part II—Typewriting Test

PART I—Written Examination :—The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No	Subject	Maximum Marks	Time allowed
I	English Language	150	1½ hours
II	General Knowledge	150	1½ hours

PART II—TYPEWRITING TEST :—The Typewriting Test will consist of one paper on Running matter of 10 minutes' duration.

2. The question papers on "English Language" and "General Knowledge" will be of the "Objective Type".

3. Only those candidates who attain, at the written examination a minimum standard, as may be fixed by the Commission in their discretion, will be eligible to take the typewriting test, i.e. Part II of the Scheme of Examination.

4. Only such candidates as qualify at the Typewriting Test at speed of not less than 30 words per minute in English or not less than 25 words per minute in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of Rule 15 of the Rules for the Examination. (This does not apply in the case of Telephone Operators employed in the Ministry of External Affairs).

NOTE : 1—Candidates who have already passed one of the periodical Typewriting Tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission or Staff Selection Commission at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi need not appear at the Typewriting Test in this examination. Such candidates must indicate their Roll Number and the date of the Typewriting Test which they have passed.

NOTE : 2—A candidate who claims to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability, may with the prior approval of the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such Test, provided such a candidate, when required to appear at the Typewriting Test, furnishes a certificate (in the prescribed form) to the Commission from the competent medical authority i.e. the Civil Surgeon, declaring him/her to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability.

5. Candidates will be required to bring their own Typewriters for the Typewriting Test. A typewriter with the standard size roller will do for the Test

6. Candidates are allowed the option to take the Typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) or in English.

7. Candidates desirous of exercising the option to take the Typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) should indicate their intention to do so in their application otherwise it would be presumed that they would take the Typewriting Test in English. The option once exercised will be final and no request for change of option will be entertained. No credit will be given for Typewriting Test taken in a language other than the one opted for by the candidates.

8. The syllabus for the Written Examination will be as shown in the Schedule to this Appendix

9. Candidates must write the Papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

10. The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE SUBJECTS INCLUDED IN

PART I—WRITTEN EXAMINATION

1. ENGLISH LANGUAGE AND GENERAL KNOWLEDGE :

(a) English Language : Questions will be designed to test candidate's knowledge of English Grammar, vocabulary, spellings, [synonyms and antonyms] his power to understand and comprehend and his ability to discriminate between correct and incorrect usage, the English Language, etc.

(b) General Knowledge : Candidates are expected to have some knowledge of the Constitution of India, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events every-day science and such matter of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowldge of any text book.

APPENDIX—II

Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICE :

The Central Secretarait Clerical Service has two grades as follows :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade D Stenographers' Examination after rendering not less than two years approved and continuous service on the crucial date as spcified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. RAILWAY BOARD SECRETARIAT CLERICAL SERVICE :

The service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc., are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 which are on the lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the Rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination for Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service, held by the Ministry of Railways after rendering not less than 2 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The Upper Age Limited for this examination is 45 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under these rules :—

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

8. The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway staff.

9. As regards leave and other conditions of service Staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. INDIAN FOREIGN SERVICE (B)—GRADE VI :

The scale of pay—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

2. Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B), when posted abroad, will be eligible for such allowances and free furnished accommodation as are admissible to that grade of I.F.S. (B) officers from time to time.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) on the results of this examination will be liable to serve in any post either at Headquarters anywhere in India or abroad to which they may be posted by the Controlling Authority.

4. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the Service will be governed by the relevant provisions of the I.F.S. (B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by any other rules or orders which Government may hereafter make.

D. ARMED FORCES HEADQUARTERS CLERICAL SERVICE :

The armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-12-560.

Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from among Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service, will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, medical aid and other conditions of service will be the same as applicable to other Ministerial staff employed to the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS :

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerk in the Department is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

F. INDO-TIBETAN BORDER POLICE :

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerk in the Indo-Tibetan Border Police is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

Candidates appointed to these posts on the results of this examination will be on probation for a period of two years.

G. CENTRAL VIGILANCE COMMISSION AND ELECTION COMMISSION :

(1) The scale of pay for the post of Lower Division Clerk in the Commissions is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

(2) The posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission and the Election Commission are not included in the C.S.C.S.

(3) The persons appointed will be on probation for a period of two years.

(4) They will be eligible for probation to the grade of Upper Division Clerk after putting in five years service in case of Central Vigilance Commission and eight years service in case of Election Commission.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi-1, the 14th February 1979

No. 22-17/77-LD.I.—In exercise of the powers conferred by Article 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the Govt. of India has nominated Shri G. M. Phala, Managing Director, Indian Dairy Corporation, Baroda to act as an ex-officio Member on the Board of National Dairy Development Board, Anand with effect from forenoon of 14-11-1978 until further orders *vice* Shri A. K. Roy Chowdhri retired.

N. RAJAGOPAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi-1, the 14th February 1979

RESOLUTION

No. HC-11027/6/77-HL(Tourism).—In continuation of this Ministry's Resolution No. HS-11027/6/77-HL dated the 5th August, 1977 regarding constitution of a Wage Review Committee for non-office employess of India Tourism Development Corporation and No. HS-11027/6/77-HL dated the 21st March, 1978 and 26th September, 1978 granting extension of time to the Committee for submitting its recommendations, the Government have decided to grant to the Comittee a further extension of time upto the 31st March, 1979 to submit its recommendations to it.

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution be also communicated to all concerned.

C. B. JAIN,
Director General (Tourism)
and ex-officio Addl. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(TRANSPORT WING)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th February 1979

No. 55-ASO.I(6)/78.—The question of securing better cargo support for Indian ships from Government Departments, Public Sector Projects and Undertakings and ensuring better coordination between the Public Sector Agencies, Indian Shipping Industry and the Chartering Organisation in the Ministry of Shipping and Transport (Transchart) has been receiving the attention of Government of India for some time past and it has now been decided to set up with immediate effect a Standing Committee to advise the Government on the measures to be taken to achieve the above objectives.

2. The composition of the Committee will be as under :

Chairman

1. Chief Controller of Chatering,
Ministry of Shipping and Transport, New Delhi.

Members

2. A representative of Ministry of Commerce.

3. A representative of Department of Steel.

4. A representative of Department of Industrial Development.

5. Chairman, State Truding Corporation of India Ltd., New Delhi.

6. Chairman, Minerals & Metals Trading Corporation of India Limited, New Delhi.

Members

7. Chairman, Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.

8. Executive Director (Bulk carrier & Tanker), Shipping Corporation of India Ltd., Bombay.

9. Secretary General, Indian National Shipowners' Association, Bombay.

Secretary

10. Shipping Co-ordination Officer, Ministry of Shipping and Transport, New Delhi.

3. The Committee shall have the power to coopt representatives of other Ministries Departments/Public Sector Undertakings/State Governments/Union Territory Administrations or Indian Shipping Companies as and when necessary.

4. The terms of reference of the Committee shall be :

(a) to bring about better co-operation and co-ordination between the Government Departments/Public sector Projects and Undertakings on the one hand and Indian Shipping Companies on the other in order to secure economic rates, timely shipments and maximum possible utilisation of Indian ships;

(b) to consider possible measures to maximise entering into contracts on FOB FAS terms for imports and C&F CIF terms for exports;

(c) to examine specific problems/difficulties in securing shipping space or cargo and possible measures to be taken by Government in this regard;

(d) to examine any other shipping problem brought to the notice of the Committee by Government Departments Projects or Indian shipping companies.

5. The meetings of the Committee will be held as and when considered necessary.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Members of the Committee and other Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. S. GILL, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 15th February 1979

No. J-13037/41 77-DDVA.—In partial modification of this Ministry's Notification No. J-13037/41/77-DDIIA, dated 19-1-79, the Central Government hereby approves the issue of debentures by the Delhi Development Authority in the open market in February 1979 on the terms and conditions mentioned therein.

KRISHNA PRATAP, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979